

भाग-II

आयोजना भिन्न व्यय, 2005-2006

आयोजना-भिन्न व्यय शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में सरकार के ऐसे सारे व्यय के बारे में किया जाता है, जो आयोजना में शामिल नहीं होता। इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों प्रकार का व्यय शामिल होता है। व्यय का कुछ भाग अनिवार्य देनदारियों से सम्बन्धित होता है, जैसे ब्याज सम्बन्धी अदायगियां, पेंशन प्रभार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सांविधिक अन्तरण। व्यय का अन्य भाग राज्य के अनिवार्य दायित्वों के सम्बन्ध में होता है, उदाहरणार्थ-रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा। इसके अलावा, केन्द्र की कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे विदेशी मामले, अन्य देशों के साथ सहयोग और करेंसी तथा टकसाल।

आयोजना-भिन्न व्यय के स्पष्ट श्रेणीवार ब्यौरे विवरण सं. 4 में दिए गए हैं।

2005-2006 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदों की जानकारी निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है। सामान्य रूप से आयोजना भिन्न पूंजी परिव्यय को विवरण सं.8 में एक साथ दर्शाया गया है।

1. ब्याज सम्बन्धी अदायगियां (133944.86 करोड़ रुपए)

ये सरकारी ऋण, आंतरिक और विदेशी दोनों, और सरकार के अन्य सब्याज देयताओं पर ब्याज से संबंधित हैं। इनमें मुख्यतः बाजार ऋण और अन्य मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण, राजकोषीय हंडिया और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। अन्य सब्याज देयताओं में बीमा और पेंशन निधि, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाराशियां और वाणिज्यिक विभागों आदि की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं। 2004-05 से प्रावधान में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत उधार पर ब्याज की अदायगी को एमएसएस पर समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पृथक दर्शाया गया है।

2. रक्षा (83000 करोड़ रुपए)

इसमें रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय, वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाकर, शामिल है। इसके घटक ये हैं- थल सेना (31242.70 करोड़ रुपए), नौ सेना (6027.35 करोड़ रुपए), वायु सेना (9004.61 करोड़ रुपए), आयुध कारखानों (-464.28 करोड़ रुपए), अनुसंधान तथा विकास (2814.48 करोड़ रुपए) तथा देनदारियों को समाप्त करने और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय (34375.14 करोड़ रुपए)।

3.1 मुख्य सब्सिडियाँ (46097.90 करोड़ रुपए)

3.1.1 खाद्य सब्सिडी (26200.00 करोड़ रुपए):- खाद्य सब्सिडी को खाद्य एवं लोक वितरण विभाग के बजट में टीडीपीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उनकी बिक्री की उगाही और खाद्यान्न के किफायती दाम के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार बफर स्टॉक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्यान्न की अधिप्राप्ति भी करती है। अतः खाद्य सब्सिडी का एक भाग बफर स्टॉक की दुलाई लागत की पूर्ति में भी जाता है।

यह सब्सिडी भारतीय खाद्य निगम जो लक्षित लोक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के अंतर्गत गेहूँ और चावल की अधिप्राप्ति और वितरण तथा अन्य कल्याण योजनाओं और खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्न के बफर स्टॉक के अनुसंधान हेतु भारत सरकार का मुख्य साधन है, को प्रदान की जाती है। नौ राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प. बंगाल, उत्तरांचल, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, उड़ीसा और गुजरात ने न केवल राज्य के भीतर खाद्यान्न अधिप्राप्ति बल्कि उसको टीडीपीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लक्षित जनसंख्या को वितरित करने का भी उत्तरदायित्व उठाया है।

विकेन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति की इस योजना के अंतर्गत, राज्य विशिष्ट किफायती दाम का निर्धारण, काफी पहले, राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है, और इस तरह नियत किफायती लागत और अखिल भारतीय स्तर पर नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति राज्यों को सब्सिडी के रूप में की जाती है। अन्य राज्यों को इस योजना को अपनाने के लिए राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.2 देशी (यूरिया) उर्वरक (10110.37 करोड़ रुपए):- देशी उर्वरक के सम्बन्ध में प्रतिधारण मूल्य योजना 1977 से लागू है। इस सब्सिडी योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर देशी उर्वरक उपलब्ध कराना और इस के साथ-साथ उर्वरक के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपयुक्त प्रतिलाभ दिलाना था।

वितरण मार्जिन को घटाकर, इस प्रकार निर्धारित प्रतिधारण मूल्य और सांविधिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर के सम्बन्ध में सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की मात्रा प्रतिधारण मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर होती है।

3.1.3 आयातित (यूरिया) उर्वरक (943.53 करोड़ रुपए):- चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। उर्वरकों की मुख्यतः तीन किस्में अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरेंट आफ पोटाश आयात की जाती हैं। चूंकि केवल नाइट्रोजनी उर्वरकों पर मूल्य नियंत्रण लागू होता है इसलिए ये अनुमान वर्ष के दौरान यूरिया के सम्भावित आयात पर आधारित हैं।

3.1.4 कृषकों को छूट के साथ विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री (5200 करोड़ रुपए):- यह प्रावधान उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकर्ताओं/एजेंसियों को भुगतान से संबंधित है। यह योजना किसानों को एन.पी.के का अच्छा अनुपात बनाए रखने की दृष्टि से फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों के मूल्यों को विनियंत्रित किए जाने के बाद शुरू की गई थी।

3.1.5 पेट्रोलियम सब्सिडी (3644 करोड़ रुपए):- इसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य व्यवस्था को समाप्त करने से घरेलू एलपीजी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन तेल, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मालभाड़ा सब्सिडी और अन्य संबद्ध प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

3.2 ब्याज संबंधी सब्सिडी (383.52 करोड़ रुपए):- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की अदायगी सामान्यतः समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जाती है। उन विशेष मामलों में, जहां ब्याज दरों में रियायत दी जाती है अथवा जहां ऋण पर ब्याज की अदायगी से छूट दी जाती है, वहां सब्सिडी दी जाती है और आर्थिक सहायता के बराबर की राशि को सरकार की ब्याज-प्राप्ति मान लिया जाता है। ब्याज सम्बन्धी सब्सिडी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी बैंकों से ऋणों पर ब्याज अदायगी को वित्त पोषित करने, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु (85.52 करोड़ रुपए) दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने हेतु जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी के रूप में 269.19 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

ब्याज संबंधी सब्सिडियों के ब्यौरे विवरण संख्या 5 में दिए गए हैं।

3.3 अन्य सब्सिडियाँ (950.82 करोड़ रुपए):- अन्य सब्सिडियों के ब्यौरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं। जिन प्रमुख मदों के लिए व्यवस्था की गई है, वे नीचे दी गई हैं :-

(क) कृषि उत्पादों के लिए बाजार हस्तक्षेप/मूल्य समर्थन स्कीम के लिए सहायता (320 करोड़ रुपए): मूल्य समर्थन अथवा बाजार हस्तक्षेप की

अभिकल्पना कृषकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत नाफेड को (260 करोड़ रुपए), भारतीय पटसन निगम को (30 करोड़ रुपए) तथा भारतीय कपास निगम को (30 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की गई है।

(ख) हज सब्सिडी (225 करोड़ रुपए): यह 2005 में हज कार्यों के संबंध में है और इसका उद्देश्य हज तीर्थ यात्रियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले विमान किराया के लिये सब्सिडी देना है।

(ग) विनिमय हानियों के लिए क्षतिपूर्ति (13.71 करोड़ रुपए): यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को इन संगठनों द्वारा विदेशी ऋणों की पुनः अदायगी में हुई विनिमय हानियों और एन.आर.आई. बॉण्ड योजना के तहत विनिमय हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है।

(घ) चीनी के बफर स्टॉक के रख-रखाव पर सब्सिडी (160 करोड़ रुपए): यह आर्थिक सहायता चीनी के बफर स्टॉक के रख-रखाव हेतु चीनी मिलों के बकाया दावों को पूरा करने के लिए है।

(ङ) चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति (90 करोड़ रुपए): यह प्रावधान चीनी के निर्यात दुलाई पर चीनी के कारखानों को आंतरिक परिवहन तथा निशुल्क प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

4. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (1500 करोड़ रुपए)

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर सरकार ने 500 करोड़ रुपए की समूह निधि के साथ एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की स्थापना की है। इस निधि का उद्देश्य बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए एक परिक्रामी निधि के रूप में प्रयोग किया जाना है। वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि इस प्रकार की असाधारण सहायता भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय करों पर एक विशेष अधिभार लगाकर वित्तपोषित की जानी चाहिए। इस व्यय को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से पूरा किया जाता है। बारहवें वित्त आयोग ने इस निधि को चालू रखने की अनुशंसा की है।

5. डाक सम्बन्धी घाटा (1417.09 करोड़ रुपए)

डाक संबंधी घाटा डाक विभाग के कार्यकारी स्वरों की कमी को दर्शाता है। जबकि इस विभाग का कार्यकारी खर्च 6130.79 करोड़ रुपए है, बजट प्रस्तावों के आधार पर डाक संबंधी प्राप्तियां 4713.70 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिससे 1417.09 करोड़ रुपए का घाटा होगा।

6. रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी (1476.00 करोड़ रुपए):

रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व लाभांश की अदायगी के संबंध में रियायतें दी जाती हैं। इनके बारे में प्राप्ति बजट में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सामरिक महत्व की लाइनों के कार्य संचालन से संबंधित हानियों को छोड़कर रेलवे की लाभांश रियायत सामान्य राजस्व से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। सामरिक महत्व की लाइनों के कार्य संचालन संबंधी वार्षिक हानियां सामान्य राजस्व द्वारा वहन की जाती हैं।

8. सामान्य सेवाएं

8.01 राज्य के अंग (1602.66 करोड़ रुपए): इसमें संसद (301.45 करोड़ रुपए), राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति (19.61 करोड़ रुपए), मंत्रिपरिषद (85.81 करोड़ रुपए), न्याय प्रशासन (82.69 करोड़ रुपए) और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग (1113.10 करोड़ रुपए) के लिए व्यवस्था की गई है।

8.02 कर संग्रहण (2986.05 करोड़ रुपए): यह व्यवस्था कर संग्रह एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग (1099.85 करोड़ रुपए), सीमाशुल्क (839.75 करोड़ रुपए) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (942.95 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में है। सीमा शुल्क व्यय में तटरक्षकों के लिए व्यय (325.03 करोड़ रुपए) शामिल है।

8.03 निर्वाचन (184.85 करोड़ रुपए): यह प्रावधान सामान्य चुनाव सम्बन्धी व्यय (100.28 करोड़ रुपए) और मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने (72.72 करोड़ रुपए) के लिए है।

8.04 सचिवालय-सामान्य सेवाएं (1099.45 करोड़ रुपए): प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा मंत्रालय, महानियंत्रक, रक्षा लेखा के संगठन और रक्षा सम्पदा संगठन सहित (622.62 करोड़ रुपए), विदेश कार्य (120.72 करोड़ रुपए) और गृह (79.15 करोड़ रुपए), राजस्व (71.72 करोड़ रुपए) और आर्थिक कार्य (66.05 करोड़ रुपए) के लिए की गई है।

8.05 पुलिस (12236.55 करोड़ रुपए): इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए 2700 करोड़ रुपए, सीमा सुरक्षा बल के लिए 3220 करोड़ रुपए, असम राइफल के लिए 1020.13 करोड़ रुपए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 975.36 करोड़ रुपए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 560.25 करोड़ रुपए और दिल्ली पुलिस के लिए 1235.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

8.06 विदेश कार्य (2033.06 करोड़ रुपए): यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है।

8.07 पेंशन (19542.40 करोड़ रुपए): इसमें रक्षा सेवाओं (12452 करोड़ रुपए) और अन्य सिविल विभागों (5890.40 करोड़ रुपए) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल हैं। रेलवे और डाक विभाग के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यचालन व्यय का भाग माना जाता है।

8.08 अन्य (1106.97 करोड़ रुपए): इसमें लोक निर्माण कार्य के लिए 482.83 करोड़ रुपए तथा आसूचना ब्यूरो के लिए (406.63 करोड़ रुपए) की व्यवस्थाएं शामिल हैं।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों यथा, कैंटीन स्टोर विभाग और विभिन्न प्रतिभूति मुद्रण, करेंसी नोट और बैंक नोट मुद्रणालयों और प्रतिभूति कागज कारखाने का राजस्व व्यय 6644.11 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तथापि, यह 7112.92 करोड़ रुपए की प्राप्तियों द्वारा अधिकांशतः प्रतिसंतुलित हो जाएगी।

9. सामाजिक सेवाएं

9.01 शिक्षा (2992.93 करोड़ रुपए): इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 598.94 करोड़ रुपए, नवोदय विद्यालय समिति के लिए 143.85 करोड़ रुपए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 1218.35 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 867.33 करोड़ रुपए, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 623.66 करोड़ रुपए और भारतीय प्रबंध संस्थानों के लिए 30 करोड़ रुपए और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर हेतु 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

9.04 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (986.33 करोड़ रुपए): इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए 195 करोड़ रुपए, एलोपैथी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए 145.71 करोड़ रुपए, डाक्टरी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 447.75 करोड़ रुपए और लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 59.11 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

9.06 सूचना और प्रसारण (1055.23 करोड़ रुपए): इस व्यवस्था में प्रसार भारती (847.35 करोड़ रुपए) को उसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में अंतर की पूर्ति के लिए अनुदान, विभिन्न सूचना और प्रचार अभिकरणों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए 207.88 करोड़ रुपए शामिल है।

9.07 श्रमिक कल्याण (983.47 करोड़ रुपए): इसमें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को अंशदान के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, वे

हैं— औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, श्रमिक शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।

9.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (580.31 करोड़ रुपए):- इसमें स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए 460.05 करोड़ रुपए, बाल और महिला कल्याण के लिए 40.99 करोड़ रुपए, विकलांगों के कल्याण के लिए 30.11 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल हैं।

10. आर्थिक सेवाएं

10.01 कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप (1691.75 करोड़ रुपए):- इसमें कृषि कार्य, बागान, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मत्स्य पालन, वानिकी और वन्य-जीवन, खाद्य भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है। मुख्य व्यवस्थाएं कृषि अनुसंधान और शिक्षा (790.55 करोड़ रुपए) तथा इसमें सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाने हेतु राज्यों तथा सहकारी संस्थानों को नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था (600 करोड़ रुपए) है।

10.03 ऊर्जा (-)273.66 करोड़ रुपए):- इस व्यवस्था में विद्युत केन्द्रों/स्कीमों पर निवल व्यय के लिए (-)362.23 करोड़ रुपए शामिल हैं। राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के मामले में निवल व्यय 87.62 करोड़ रुपए है। बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र की प्राप्तियां (1260.85 करोड़ रुपए) व्यय (1260.90 करोड़ रुपए) के आस-पास होने की सम्भावना है।

10.04 उद्योग और खनिज (2208.72 करोड़ रुपए):- मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भोपाल गैस दुर्घटना संबंधित लेन-देन, न्यूकलीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं संबंधी प्रावधान में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए 161.57 करोड़ रुपए की राशि को निवल प्राप्तियों के रूप में लिया गया है जिसे वाणिज्यिक सेवा माना जाता है। इसमें भारत सरकार द्वारा इन वित्तीय संस्थाओं की पुनर्संरचना हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 495 करोड़ रुपए तथा भारतीय औद्योगिक विकास निगम को 300 करोड़ रुपए की सहायता भी शामिल है।

10.05 परिवहन (1319.58 करोड़ रुपए):- ये व्यवस्थाएं मुख्यतया सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव (956.21 करोड़ रुपए), जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (770.74 करोड़ रुपए) भी शामिल है; और तलकर्मण तथा सर्वेक्षण संगठनों (252.88 करोड़ रुपए) से संबंधित हैं। दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग को वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, और (-)9.28 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियां होने का अनुमान है।

10.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (2362.36 करोड़ रुपए):- इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए 916.99 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 334.15 करोड़ रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए 244.10 करोड़ रुपए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए 706.10 करोड़ रुपए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए 110.38 करोड़ रुपए और समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30.73 करोड़ रुपए शामिल हैं।

11. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान (33269.21 करोड़ रुपए)

राज्यों को अनुदान के अनुमान बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर आधारित हैं। बारहवें वित्त आयोग पर आधारित आयोजना-भिन्न अनुदानों का आशय राज्यों के आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे को पूरा करने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक भवनों, वनों, दाय संरक्षण और राज्य-विशेष समस्याओं से है। इसके अलावा, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सड़कों, विश्वविद्यालय

और महाविद्यालय अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि आदि के लिए अतिरिक्त अनुदान दिए जा रहे हैं।

ब्यौरे विवरण 10 में दिखाए गए हैं।

12. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (683.63 करोड़ रुपए)

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पांडिचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर (357 करोड़ रुपए), केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के शेरों के बदले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को अनुदान (325 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

13. विदेशी सरकारों को अनुदान (1093.90 करोड़ रुपए)

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए 336.11 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 70 करोड़ रुपए, अफ्रीकी देशों के लिए 104.54 करोड़ रुपए, बंगलादेश के लिए 51 करोड़ रुपए, अन्य विकासशील देशों आदि के लिए 339.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

14. अन्य आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (4460.17 करोड़ रुपए)

इसमें मुख्य व्यवस्था आणविक ऊर्जा विभाग को पूंजी परिव्यय (415.39 करोड़ रुपए), तटरक्षक संगठन के लिए पोतों, नावों, विमानों आदि के अधिग्रहण (500 करोड़ रुपए), सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण (180.16 करोड़ रुपए), पुलिस के लिए भवन निर्माण (470.45 करोड़ रुपए), पुलिस आवासीय भवनों के निर्माण के लिए (284.95 करोड़ रुपए) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण (139.65 करोड़ रुपए) और विदेश स्थित दूतावासों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के अधिग्रहण/निर्माण (66.41 करोड़ रुपए), भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य (631.65 करोड़ रुपए), सिक्कों के लिए धातु की खरीद (100.30 करोड़ रुपए) के लिए की गयी है। विवरण संख्या 8 में ब्यौरा दिया गया है।

16. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण (28 करोड़ रुपए)

ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

17. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण (72 करोड़ रुपए)

इसमें पांडिचेरी को अपने संसाधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है। ब्यौरे विवरण संख्या 10 में दिए गए हैं।

18. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न अनुदान और उधार (1259.63 करोड़ रुपए)

इसमें सरकारी क्षेत्र की उद्यमों के संसाधनों में कमियों को पूरा करने के लिए 600.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है। 250 करोड़ रुपए का दूसरा एकमुश्त प्रावधान स्वैच्छिक पृथक्कीकरण स्कीम और सांविधिक बकाया राशियों के लिए है। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड के पुनःउद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया जा रहा है।

19. विदेशी सरकारों को ऋण (256.01 करोड़ रुपए)

इस प्रावधान में मारीशस के लिए 32 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 140 करोड़ रुपए, सूरीनाम के लिए 11 करोड़ रुपए, कंबोडिया के लिए 14 करोड़ रुपए तथा लाओस के लिए 21 करोड़ रुपए शामिल है। ब्यौरे विवरण संख्या 11 में दिए गए हैं।

21. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय (2228.38 करोड़ रुपए)

इनमें यह व्यवस्था की गई है:- अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 1174.38 करोड़ रुपए, दादरा और नागर हवेली के लिए 47.26 करोड़ रुपए, लक्षद्वीप के लिए 158 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ के लिए 793 करोड़ रुपए और दमन एवं दीव के लिए 55 करोड़ रुपए। ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए हैं।